Incidence and Shifting of Tax on Land, Import, Export, Property commodity and Income

Incidence and Shifting of Tax on Land

भूमि पर अनेक प्रकार से कर लगाये जा सकते है जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर कर, भूमि की स्थिति के आधार पर कर आदि। अगर सरकार आर्थिक लगान पर कर लगाती है तो इस कर का भार भूस्वामियों पर पड़ता है। आर्थिक लगान एक प्रकार का अधिकार होता है जो भूस्वामियों को प्राप्त होता है।

यदि भूमि पर कर फसल विशेष के अनुसार लगाया गया है तो इस कर का भार अल्पकाल में तो भूस्वामी ही इस वहन करेगा परन्तु दीर्घकाल में इस कर भार को उपभोक्ताओं की ओर विवर्तित कर देगा। माना कि गन्ने पर उत्पादन कर लगाया जाता है जो कि 5 रुपये प्रति क्विंटल है कर लगने से उपज की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है यदि उपज के कर-भार को भूस्वामी विवर्तित नहीं कर सकता तो वह स्वयं ही कर भार का भुगतान करके अपने लाभ में कमी कर

होगा। तब ऐसी दशा में उत्पादक के लिए यह फसल लाभप्रद नही रह जाती है। अब वह गन्ने की जगह दूसरी फसल मानाकि अरहर (जिस पर कर न लगा हो) का उत्पादन करने लगेगा। ऐसा करने से गन्ने की पूर्ति में कमी आ जायेगी जबकि गन्ने की मांग पूर्ववत बनी रहती है। ऐसी दशा में दीर्घकाल में गन्नो का मूल्य बढ़ जायेगा। मूल्य वृद्धि के कारण अब वे उत्पादक फिर से गन्ने की खेती करने लगेंगे और गन्ने के कर भार को उपभोक्ताओं की ओर विवर्तित कर देंगे।

यदि भूमि पर कर उपज की मात्रा के अनुसार लगाया जाता है तो करभार का विवर्तन वस्तु की मांग लोच के अनुसार होगा। यदि वस्तु की मांग बेलोच है तो करभार का विवर्तन आसानी से हो जायेगा और यदि वस्तु की मांग लोचदार हुई तो करभार का विवर्तन नही होगा। इस भार को भूस्वामी स्वयं ही वहन करेगा।

यदि भूमि में विनियोजित पूंजी पर कर लगाया जाता है तो कर का भार किसानो पर पड़ेगा।

Incidence and shifting of Tax on Import

जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के

व्यापारी से वस्तुएँ आयात करता है तब आयातकर्ता देश के द्वारा वस्तु पर कर लगाया जाता है। इसप्रकार आयातकर्ता के लिए वह वस्तु महंगी हो जाती है। आयातकर्ता द्वारा लगाये गए कर का विवर्तन वस्तु की मांग की लोच के उपर पूर्णतया निर्भर करेगी। यदि आयात की जानेवाली वस्तु आयातक देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है या आयात की जानेवाली वस्तु आयातक देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है या आयात की जाने वाली वस्तु की कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है- तो ऐसी दशा में आयातक देश के उपभोक्ताओं को ही कर का भार वहन करना पड़ेगा। यदि स्थिति इसके विपरीत है तो करभार का विवर्तन होना सम्भव नहीं और सम्पूर्ण करभार आयातक को ही वहन करना होगा।

Incidence and Shifting of Tax on Export

यदि किसी राष्ट्र को वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएँ उपलब्ध नहीं है तथा मांग में शिथिल लोच नहीं है तो सरलता से करभार का

विवर्तन किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आयातकर्ती देश में प्रर्याप्त उत्पादन होता है तथा स्थानापन्न वस्तुएँ भी उपलब्ध हो तो निर्यातक को ही करभार वहन करना पड़ेगा।

Incidence and Shifting of Tax on Income

यहाँ पर आय का अभिप्राय व्यक्ति को किसी सेवा अथवा व्यापार आदि से प्राप्त होने वाली आय से है। व्यक्ति की आय पर एक निश्चित सीमा तक छूट देने के बाद शेष बची आय पर आयकर लगाया जाता है। आय कर को दो भागों में बाँटा जा सकता है —

(1) व्यक्तिगत आयकर का विवर्तन

वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि पर जो कर लगाया जाता है उस कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति को प्राप्त होने वाली मजदूरी उसकी सीमान्त उत्पादकता के आधार पर ही प्राप्त होती है तथा कर भार को व्यक्ति स्वयं ही सहन करता है।

(2) व्यवसायिक आय कर का विवर्तन

व्यवसायिक आय कर का विवर्तन समय